

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 18/8/2015

संख्या-3/विविध-01-20/2014 385(3) /स्वा0, डा0 मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना के नियमित पदस्थापन होने तक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

ह0/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-01-20/2014 385(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 18/8/2015

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9 एवं 10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव